

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक/मंडी कार्मिक/अ-2/4337/613
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/05/2019

संयुक्त/उप संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन,
ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा।

विषय :- नवनियुक्त सहायक उपनिरीक्षकों की ड्यूटी के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय पत्र कमांक/मंडी कार्मिक/अ-2/विविध/1153-54 दिनांक 28.08.18

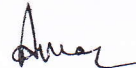
— 00 —

संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में सीधी भर्ती से पदस्थ नवनियुक्त सहायक उपनिरीक्षकों को कई मंडियों में विगत 05-06 माह से एक ही कार्यालयीन कार्य में लगाया गया है, जबकि सहायक उपनिरीक्षक संवर्ग क्षेत्रीय कर्मचारियों के तहत आते हैं जिन्हें मंडी समिति के समस्त कार्यों से संबंधित नियमों एवं प्रचलित व्यवस्थाओं का व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव होना अनिवार्य है ताकि वह अपने दायित्वों को सक्षमता से निर्वहन कर सकें।

नवनियुक्त सहायक उपनिरीक्षकों को परिवीक्षा अवधि के दौरान मंडी प्रांगण में आवक से लेकर निकासी तक के कार्यों, नियमन से संबंधित शाखाओं के नियम एवं प्रक्रियाओं की जानकारी मंडी क्षेत्र में नियंत्रण एवं निरीक्षण तथा उप मंडी की व्यवस्थाओं के संचालन इत्यादि का अनुभव दिलाने के लिए उनके पदीय कर्तव्यों के अनुसार मंडी से संबंधित सभी क्षेत्रों में चक्र पद्धति से ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

कृपया संदर्भित पत्र के अनुपालन में संभाग की मण्डियों में कृत कार्यवाही का मण्डीवार संकलित एकजाई पालन प्रतिवेदन मुख्यालय को दिनांक 04.05.19 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भविष्य में उक्त निर्देश के पालन की आंचलिक कार्यालय स्तर पर समीक्षा की जावेगी।

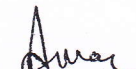
(प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार)


अपर संचालक (कार्मिक)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

कमांक/मंडी कार्मिक/अ-2/4337/614
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 13/05/2019

1. अपर संचालक (नियमन) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर अशासकीय टीप कमांक 81 दिनांक 09.04.19 के तारतम्य में आयोजित बैठक दिनांक 16.04.2019 में हुए निर्णय के अनुक्रम में सूचनार्थ।
3. सचिव कृषि उपज मंडी समिति(समस्त) उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन का पालन आंचलिक कार्यालय के माध्यम से नियत समयवधि में उपलब्ध कराया जावे।


अपर संचालक (कार्मिक)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल